

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

रजनी होतानी निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 31/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.2026	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249546299528217 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान् की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।</li><li>लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 28485 दिनांक 27.02.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20310643 दिनांक 04.02.2026 एवं पत्रांक 20351626 दिनांक 05.02.2026 से ऑनलाईन पोर्टल पर अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई व पत्र क्रमांक 28402 दिनांक 16.02.2026 से अपीलार्थी को पुनः निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04-03-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपील प्राधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा